संख्या–भा0स0–37 / 14–2–2017–800 (1) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी 2017**

विषयः– जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–बनीकोडर, तहसील–रामसनेही घाट के गाटा संख्या–288 तथा 305 में भिटरिया–हैदरगढ़ मार्ग पर किमी0 01–02 के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0493 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 15 / 2017 / एफसी / 514, दिनांक 17–02–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 07 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रेषित मूल प्रति भेजते हुये हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 17–02–2017 में उल्लिखित 07 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि 01प्रस्ताव।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।